किशनलाल वगै. बनाम गंगाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	प्रार्थनापत्र पत्थरगढ़ी मु.नं.-9/19	
19.06.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रकरण में वकील अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की आवासीय भूमि खसरा नम्बर 1821/3 रकबा 0.8875 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम गढ़टकनेत में स्थित है। जिसके प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 31.10.2018 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का गढ़टकनेत के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में भूमिधारी की हैसियत से तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 111/तराले /2019 दिनांक 23.4.19 के द्वारा अवगत कराया है कि महालेखाकार जॉच दल जयपुर के निरीक्षण वृतान्त अवधि 4/13 से 3/18 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 1821/3 के खातेदार किशनलाल के नाम से कुल राशि 30884/– रूपए की वसूली निकाली गई है। उक्त राशि को जमा कराने हेतु संबंधित को बार–बार कहने के उपरान्त भी राशि जमा नहीं करवाई गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रार्थी के द्वारा जब तक महालेखाकार जॉच दल की बकाया राशि 30884/– रूपए जमा नहीं करवा देता है तब तक पत्थरगढ़ी के आदेश नहीं देने बाबत अंकित किया है।	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

किशनलाल बनाम गंगाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्रार्थना पत्र पत्थरगढी मु.नं. – 9/19
	वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी सम्वत् 2074–77, नजरी नक्शा प्रति, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि यदि प्रार्थी महालेखाकार जॉच दल जयपुर के निरीक्षण वृतान्त अवधि 4/13 से 3/18 के द्वारा आक्षेपित कुल राशि 30884/– रूपए की बकाया राशि जरिये चालान से राज्य कोष में जमा करवा कर रसीद पेश करे तो प्रार्थी द्वारा चाहे गये पटवारी हल्का गढ़टकनेत द्वारा दिनांक 31.10.2018 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी की कार्यवाही तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा की जा सकती है। महालेखाकार जॉच दल जयपुर के निरीक्षण वृतान्त अवधि 4/13 से 3/18 के द्वारा आक्षेपित कुल राशि 30884/– रूपए की बकाया राशि जमा कराई जाने की स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/– रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का गढ़टकनेत द्वारा दिनांक 31.10.2018 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

Scanned by CamScanner

किशनलाल बनाम गंगाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
	प्रार्थना पत्र चकबन्दी मु०नं०-9/19	
	यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 19.06.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	